प्रेस नोट
दिनांक 08.11.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा छठ पूजा पर्व के दृष्टिगत प्रातः कालीन अर्घ्य के दौरान खैरा भवानी मंदिर परिसर का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, ड्यूटी पर लगे अधि0/कर्मचारीगणों को दिए गए आवश्यक दिशा–निर्देश–

गोण्डा। आज दिनांक 08.11.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा छठ पूजा पर्व के दृष्टिगत प्रातः कालीन अर्घ्य के दौरान थाना को0 नगर क्षेत्रांतर्गत खैरा भवानी मंदिर परिसर का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया गया। तत्पश्चात महोदय द्वारा छठव्रती महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुरूष/महिला पुलिस के जवानों की सतर्कता को परखा गया एवं सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस बल को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए साथ ही बताया गया कि छठव्रती महिलाओं के पूजन–अर्चन में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा उत्पन्न न हो, सदैव सतर्क रहते हुए ड्यूटी का निस्पादन करे जिससे किसी भी प्रकार की कोई घटना/दुर्घटना न घटित होने पाये। महोदय परिसर में लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरों को चेक कर सम्बन्धित अधि0/कर्मचारीगणों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। छठ पर्व के दृष्टिगत महिलाओं के पूजन–अर्चन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है पर्याप्त संख्या में पुरूष एवं महिला आरक्षियों की ड्यूटी लगायी गयी है। बालिकाओं/महिलाओं के साथ छेड़छाड की सम्भावना के दृष्टिगत सादे वस्त्रों में महिला/पुरूष जवानों के अतिरिक्त एण्टी रोमियों की टीम को भी लगाया गया है। स्थानीय अभिसूचना इकाई एवं अन्य अभिसूचना तंत्रों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले विभिन्न असामाजिक, अवांछनीय एवं साम्प्रदायिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस सोशल मीडिया सेल द्वारा भी लगातार सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो, ट्विटर, फेसबुक व व्हाट्सएप ग्रुपों सहित अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफार्मो पर निरंतर निगरानी की जा रही है। महोदय के निर्देशन में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ बनाये रखने हेतु ड्रोन कैमरे की मदद से भी खैरा भवानी मंदिर, घाट एवं आने–जाने वाले मार्गो पर निगरानी रखी जा रही है।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, प्रशिक्षु0 उपाधीक्षक उदित नारायण पालीवाल, प्र0नि0 मनोज कुमार पाठक सहित पुलिस के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 08.11.2024

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का खुलासा करते हुए शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के आभूषण व 01 अदद अवैध तमंचा मय कारतूस बरामद–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–229/24, धारा 305,331(4) बीएनएस की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त अभियुक्त–मालिकराम पुत्र राजकुमार नि0 ग्राम शिवसहायपुरवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को हनुमानगढी से झालीधाम जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 02 जोड़ी पायल, 02 जोडी बिछिया व 01 अदद नाजायज तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 11.09.2024 को वादी बच्चन बाबू तिवारी पुत्र जगदीश प्रसाद तिवारी नि0 ग्राम लक्ष्मनपुर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना खरगूपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोरो द्वारा उनके घर में घुसकर सोने–चांदी के आभूषण व नगदी की चोरी की गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खरगूपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 पंकज कुमार द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 08.11.2024 को थाना खरगूपुर पुलिस टीम द्वारा विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर घटना में संलिप्त अभियुक्त मालिकराम पुत्र राजकुमार को हनुमानगढी से झालीधाम जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 02 जोड़ी पायल, 02 जोडी बिछिया व 01 अदद नाजायज तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. मालिकराम पुत्र राजकुमार नि0 ग्राम शिवसहायपुरवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग–

01. मु0अ0सं0–229/24, धारा 305,331(4) बीएनएस थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 02 जोड़ी पायल।
02. 02 जोड़ी बिछिया।
03. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 पंकज कुमार।
02. हे0का0 आदित्यनाथ यादव।
03. का0 अमन सिंह।
04. का0 सुजीत विश्वकर्मा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 08.11.2024</u>

<u>'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग लडकी से छेडछाड करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 03 वर्ष का कारावास व रू0 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा-</u>

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष पाक्सो एक्ट गोण्डा द्वारा दिनांक 15.12.2018 में थाना को देहात में पंजीकृत मु0अ0सं0-491/2024 धारा 354,323 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त-रामधारी पुत्र रामप्रकाश नि0 खम्हरिया हरवंश थाना को0 देहात जनपद गोण्डा को दोषसिद्ध किया गया है।

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की से छेडछाड़ करने के आरोप में अभियुक्त रामधारी पुत्र रामप्रकाश को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिसमें शासकीय अधिवक्ता श्री अनूप सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, कोर्ट मोहर्रिर व थाना को0 देहात के पैरोकार द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष पाक्सो एक्ट गोण्डा श्री राजेश नारायण मणि त्रिपाठी द्वारा उक्त अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी है।

<u>अभियुक्त का नाम पता-</u>

01. रामधारी पुत्र रामप्रकाश नि0 खम्हरिया हरवंश थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

01. मु0अ0सं0-491/2024 धारा 354,323 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 08.11.2024

बाल श्रम की रोकथाम हेतु संचालित दुकानों और होटलों की चेकिंग की गयी, दुकानदारों से वार्ता कर बाल श्रम की रोकथाम हेतु शासन द्वारा चलाई जा रही नीतियों के बारे में कराया गया अवगत–

गोण्डा। आज दिनांक 08.11.2024 को शासन द्वारा चलाए जा रहे बाल श्रम मुक्त अभियान के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन_एवं नोडल अधिकारी श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में थाना एएचटी टीम द्वारा थाना कर्नलगंज क्षेत्रान्तर्गत बालपुर बाजार में संचालित दुकानों, होटलों और दुकानों की चेकिंग की गयी। अभियान के दौरान बाल श्रम रोकथाम हेतु शासन द्वारा चलाई जा रही नीतियों के बारे मे दुकानदारों को अवगत कराया एवं हिदायत दी गई की भविष्य में किसी भी प्रकार के बच्चों से बाल श्रम ना कराये यदि बाल श्रम कराते पकड़े जाते हैं तो थाना ए0एच0टी0 प्रभारी के द्वारा विधिक कार्यवाही की जायेगी। अभियान के दौरान मिशन शक्ति के तहत महिला एवं बच्चों को भी जागरूक किया गया और महिलाओं को महिला संबंधी अपराधों के बारे में अवगत कराया गया। अभियान के दौरान ही थाना ए0एच0टी0यू0 से प्रभारी नि0 श्री लाल बिहारी, आरक्षी चन्द्रशेखर यादव और महिला आरक्षी मीनू यादव, चाइल्ड लाइन गोण्डा से श्री माखन लाल तिवारी व अपराजिता सामाजिक समिति गोण्डा से श्री आत्रेय त्रिपाठी के साथ बालिका संनरक्षण गृह/गोण्डा प्रोटेक्शन चिल्ड्रेन होम/बालगृह शिशु/विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण जनपद गोण्डा पहुंचकर निरीक्षण करते हुए बालक/बालिकाओं से वार्तालाप किया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।